आखिरी जांच: 21 अक्टूबर 2026 · National Legal Services Authority (NALSA)

NALSA Community Mediation: Towards a Litigation-Free Rural India

NALSA सामुदायिक मध्यस्थता गांव के लोगों को पारिवारिक, पड़ोस और जमीन जैसे स्थानीय विवाद, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय प्रशिक्षित सामुदायिक मध्यस्थों के ज़रिए सुलझाने में मदद करती है।

क्या मिल सकता है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति के ज़रिए सामुदायिक मध्यस्थों के पैनल द्वारा स्थानीय विवाद की मध्यस्थता। अनुरोध 24 घंटे में दर्ज होकर पावती मिलती है, 48 घंटे में मध्यस्थ पैनल को सौंपा जाता है और मध्यस्थता प्राथमिकता से 30 दिन में पूरी होनी चाहिए। समझौता लिखा जाता है, दोनों पक्ष उस पर हस्ताक्षर करते हैं और हर पक्ष को उसकी प्रति मिलती है।

किसके लिए है

ग्रामीण क्षेत्र के निवासी और परिवार, जिनका ऐसा स्थानीय विवाद है जो शांति और सद्भाव पर असर डालता है और दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए राज़ी हैं।

मुख्य शर्तें

- दोनों पक्षों का मध्यस्थता के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। भागीदारी स्वैच्छिक है और कोई भी पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर से पहले हट सकता है।
- विवाद स्थानीय या सामुदायिक प्रकृति का हो, जैसे पारिवारिक, पड़ोस, ज़मीन की सीमा, संपत्ति, सामुदायिक संसाधन, छोटी रकम की वसूली या कार्यस्थल के विवाद।
- जघन्य अपराध और गैर-शमनीय मामले, तथा मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की पहली अनुसूची में छूटे विवाद नहीं लिए जाते।

आवेदन कैसे करें

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति में मौखिक या लिखित आवेदन करें। विवाद का कोई भी पक्ष आवेदन कर सकता है।
2. विवाद को तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी जैसे अधिकारी, ग्राम पंचायत, पुलिस, पैरा लीगल वालंटियर या लोक अदालत भी उनके पास भेज सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों की सहमति से ही।
3. विधिक सेवा प्राधिकरण जांचता है कि विवाद उपयुक्त है या नहीं, फिर उसे सामुदायिक मध्यस्थ पैनल को भेजता है।
4. समझौता न होने पर लोक अदालत या अदालत जैसे दूसरे उपाय बताए जाते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2026/05/20260519177841120 1.pdf
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2026/05/20260519177841120 1.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/nalsa-community-mediation-litigation-free-rural-india/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।